पंजीकृत/ए. डी.

संख्या:1–136/72–फिन(एल0ए0)खण्ड–13, –169
हिमाचल प्रदेश सरकार,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ।

दिनांक, शिमला–171009, 08 JAN 2019

कार्यालय आदेश

सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर ₹17900/– (₹10300 + ₹3800 ग्रेड पे + ग्रेड पे का 100% अर्थात ₹3800 का 100%) प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम पर एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबन्ध आधार पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है:–

Sr.No	Name & address of the candidate	Place of Reporting/ Joining
1.	Shri Divijay S/o Shri Trilok Chand, Vill. Matyal Khurd, P.O. Chadhiar, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra, H.P. 176088.	Headquarter Office, Local Audit Department, Kasumpti, Shimla-9

(क) नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्ते निम्नलिखित हैं:–

1. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹17900/– (₹10300 + ₹3800 ग्रेड पे + ग्रेड पे का 100% अर्थात ₹3800 का 100%) प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सन्तोषजनक कार्य पाए जाने पर आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹423/– की वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होगा और उसे कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

3. संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में प्रत्येक माह के सेवाकाल के पश्चात एक दिवस के आकस्मिक अवकाश का सुपात्र होगा। इसके अतिरिक्त वह एक कलैण्डर वर्ष में दस दिनों के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिनों के विशेष अवकाश का सुपात्र होगा। संविदा आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारी को, जिसके दो से कम जीवित बच्चें हो, 180 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारी अपने सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान अकाल प्रसव की स्थिति में गर्भपात सहित, अधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 45 दिनों के मातृत्व अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या के निरपेक्ष) की भी हकदार होगी। संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश रियायत यात्रा इत्यादि का हकदार नही होगा। संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अयकाश देय नही होगा।

   अव्ययित आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगें तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रेषित नही किए जाएगें।

4. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की पर्यावसान (समाप्त) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण तीन वर्ष के सेवाकाल के उपरान्त आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक आधार पर किया जा सकेगा।

6. चयनित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पहले सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना नवीनतम आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

8. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0–एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगें।

9. पुरुष उम्मीदवार यदि विवाहित हैं तो, घोषणा करनी होगी कि आपकी एक से अधिक पत्नियां नहीं है। महिला उम्मीदवार यदि विवाहित है तो उनको घोषणा करनी होगी कि उन्होंने ऐसे पुरूष से शादी की है जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ नहीं है।

10. भारतीय संविधान के प्रति आज्ञाकारिता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ/प्रतिज्ञान लेना होगा।

11. अभ्यर्थी को संलग्न प्रपत्र पर सरकार के साथ करार हस्ताक्षरित करना होगा।

12. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के पश्चात् विभागीय प्रशिक्षण मैनुअल के प्रावधानानुसार तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ख) नियुक्ति निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रतिलिपियों के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करेगी :–

1. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

2. आयु सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

3. सचरित्रता का नवीनतम प्रमाण–पत्र, जोकि निर्धारित प्रपत्र पर केन्द्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

4. आई.आर.डी.पी./अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र ।

5. सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किया गया नवीनतम आरोग्य प्रमाण–पत्र ।

(ग) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुई तो उम्मीदवार को किसी भी समय बिना किसी भुगतान के सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्यवाही, जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।

(घ) इस नियुक्ति पर कार्यग्रहण के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

यदि उपरोक्त अभ्यर्थी को ऊपर वर्णित निबन्धन एवं शर्तो पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वे इन आदेशों की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर या इससे पूर्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, ब्लॉक न0 38, कसुम्पटी शिमला–171009 में वांछित प्रमाण–पत्रों सहित करार हस्ताक्षरित और कार्य ग्रहण करने के लिए उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् यह नियुक्ति रद्द समझी जाएगी।

(आबिद हुसैन सादिक)
निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन न0 0177–2621902

संख्याः1–136/72–फिन{एल0ए0}खण्ड–13, दिनांक, शिमला–9 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1 उपरोक्त अभ्यर्थी को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा बताए गए पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2 सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर–177001 को उनके पत्र संख्याः एचपी–एस0एस0सी0–सी0–(2) 29/2017–07, दिनांक 01–01–2019 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

3 उप निदेशक–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4 सम्बन्धित कर्मचारी की निजी नस्ति को संदर्भ एवं अभिलेख हेतु ।

5 मुख्यालय में कार्यरत सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6 नस्ति सं0 1–31/67–फिन{एल0ए0}, सं0 1–158/73–फिन{एल0ए0} और सं0 1–253/74–फिन {एल0ए0} को संदर्भ एवं अभिलेख हेतु ।

7 गार्ड नस्ति ।

(आबिद हुसैन सादिक)
निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन न0 0177–2621902